

अनुस्थित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यकं एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विमाग संचिका संख्या—02/EMRS(DLC)—01/2020

अविस्घना

जनजातीय कार्य मंत्रालयं. भारत सरकार के प्रत्रांक-18015/06/2020-EMRS, दिनांक-21.02.2020 आलोक में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयाँ के पर्यवेषण हेतु "जिला स्तरीय एकलव्य विद्यालय समिति C)" का गठन निम्नरूपेण किया जाता है-

ı. **उपायुक्त**

11.

IV.

- उप-विकास आयुक्त सदस्य
- गरियोजना निदेशक, ITDA (OSP जिलों के लिए जिला कल्याण पदाधिकारी)
 - जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सदस्य
- v. जिला रोक्षा पदाधिकारी
- VI. सिविल सर्जन सदस
- VII. जिलान्तर्गत दो प्रख्यात शिक्षाविद् (अध्यक्ष द्वारा नामित)
- VIII. प्राचार्य, जिलान्तर्गत किसी एक एकलव्य मॉडल आवासीय (जिलान्तर्गत एक से अधिक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय संघातित होने के स्थिति में वार्षिक चक्रानुक्रम के आधार पर)

2. ज्वत समिति का उत्तरदायित्व निम्नवत होगाः-

- विद्यालयों के शैक्षणिक प्रदर्शन, युनियादि ढांचे के विकास, सह-शैक्षणिक गतिविधियों, मेस आदि जैसे सभी पहलुओं तथा सुविधाओं का पर्यवेक्षण करना!
- ii. बेहतर क्रियान्वयन एवं विकास के लिए स्थानीय सहायता और सहयोग सुनिश्चित करने में विद्यालयों की सहायता करना।
- ां।. छात्र / छात्राओं को उनकी संस्कृति तथा उनके व्यक्तित्व विकास एवं पेशेवर विकास के विभिन्न तरीकों के बारे में जानने के लिए विभिन्न गतिविधियों के आयोजन में सहायता करना।
- iv. विद्यालयों की गतिविधियों को सुदृद्ध करने के लिए आमजनों से अतिरिक्त वित्तीय सहायता तथा समर्थन जुटांना।
- अनुभवों एवं सुविधाओं को साझा करने हेतु विशेष रूप से स्कूली शिक्षा की गुणवता में सुधार हेतु विद्यालयों को केन्द्रबिन्दु बनाने के लिए गतिविधियों का आयोजन करवाना।
- vi. विद्यालयों में विभिन्न संरचनात्मक एवं ढाँचागत विकास की गतिविधियों की प्रगति की निगरानी करना।
- vii. विद्यालयों के कामकाज के शैक्षणिक अथवा अन्य पहलुओं में आवश्यक सुधार या यदलाव हेतु "झारखण्ड आश्रम एण्ड एकलव्य विद्यालय एड्क्रेशन सोसायटी "को सुझाव देना।
- viii. " झारखण्डं आश्रम एण्डं एकलव्य विद्यालय एड्क्नेशन सोसायटी " द्वारा समय-समय पर. साँपी जाने वाली अन्य जिम्मेवारियों का निर्वहन।

Jud 18 1

सदस्य

सदस्य सचिव

Wayner 2.

164 22

23